

**नियम 99 : विवरणियों की संवीक्षा**

- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगती की दशा में वह उक्त व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10** में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगती के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर, ब्याज की रकम और ऐसी विसंगती के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकन करेगा।
  - (2) उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगति को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगति से उद्भूत कर, ब्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-11** में विसंगति के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा।
  - (3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-12** में तदनुसार उसे सूचित करेगा।
-